

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937

No. 216]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/MAGHA 7, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा यूनिट)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

का.आ. 245(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा कथित उप धारा के तहत दिनांक 10.08.2015 को फाइल संख्या 673/22/2015-कस्टम्स VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री सुदेश कुमार सोन्थालिया, सुपुत्र श्री सत्यदेव सोन्थालिया, निवासी सीएल-239, सेक्टर-2, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता को प्रेसीडेन्सी सुधार गृह, अलिपुर, कोलकाता में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में तस्करी के माल की तस्करी करने और इसका व्यापार करने से उन्हें रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अतः अब, कथित अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/22/2015-कस्टम्स VIII]

पी.वी. सुब्बा राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)****(COFEPOSA UNIT)****ORDER**

New Delhi, the 20th January, 2016

S.O. 245(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/22/2015-Cus.VIII, dated 10.08.2015 under the said sub-section directing that Shri Sudesh Kumar Sonthalia S/o Late Satyadeo Sonthalia, R/o CL-239, Sector- 2, Salt Lake City, Kolkata, be detained and kept in Presidency Correctional Home, Alipore, Kolkata with a view to preventing him from indulging in smuggling and dealing in smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (I) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Govt of West Bengal, Kolkata within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/22/2015-Cus. VIII]

P. V. SUBBA RAO, Jt. Secy.